

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)  
अधिघोषणा

पटना, तारीख:.....

सं..... रा0 चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-गोनवों चादर नं०-02, थाना नं०-135, सर्वे थाना-विक्रम, जिला-पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् चिड़टा-सामेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-गोनवों चादर नं०-02, थाना नं०-135 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश 1.17 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या-1788, 1814 रागी अंश भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-


उत्तर : खेसरा संख्या-1796 अंश एवं 1814 अंश  
पूरब : खेसरा संख्या-2221 पूर्ण, 2222 अंश एवं 2194 अंश  
दक्षिण : खेसरा संख्या-1788 अंश एवं 1796 अंश  
पश्चिम : खेसरा संख्या-1789 अंश एवं 1813 अंश

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पडने वाली कौयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिरा कार्य क लिए भूमि इन्डिया को दे रही है इसके निर्माण के लिए खोदना हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

  
रामहर्षा  
पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से




सरकार के  सचिव

ज्ञापांक सं०- 1729/स०,

दिनांक:- 03-07-

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि:- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरकार के  सचिव।